

सं०सं०-1/ज०ने०मे०कॉ०-02/2018- 66(1)१०

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवामें,

प्राचार्य,
जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज,
भागलपुर।

पटना, दिनांक- 6 / 11 / 2018

विषय:- जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर को विपत्र कोड-20-2210051050010 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रू० 8,13,25,000/- (रुपये आठ करोड़ तेरह लाख पच्चीस हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर का पत्रांक-2518, दिनांक-23.10.2018 के आलोक में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर को विपत्र कोड-20-2210051050010 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में संलग्न विवरणी के अनुसार वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० 8,13,25,000/- (रुपये आठ करोड़ तेरह लाख पच्चीस हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2356/वि०(2), दिनांक-12.04.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दिनांक-18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन व्यय माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0010-भागलपुर मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड-20-2210051050010 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।


6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इस की सारी जवाबदेही आपकी होगी।

Q

क्रमशः

7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।
8. इस आवंटनादेश द्वारा 0010.52.01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय ईकाई में आवंटित राशि में संस्थान एवं इसके प्रयोगशालाओं के मशीनों एवं उपस्कर के मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए भी राशि शामिल है।
9. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
10. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, भागलपुर से की जाएगी।
11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
12. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/ज0ने0मे0काँ0-02/2018-66(1)970 /स्वा0, पटना, दिनांक-6/11/2018

प्रतिलिपि:—महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/जिलाधिकारी, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव



भागलपुर मेडिकल कॉलेज, भागलपुर, विपत्र कोड-20-2210051050010 को वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0010.01.01 वेतन	200000000	150000000	44800000	194800000	5200000
0010.01.03 जीवन यापन भत्ता	22199000	16649250	140000	16789250	5409750
0010.01.04 मकान किराया भत्ता	70760000	53070000	17690000	70760000	0
0010.01.05 परिवहन भत्ता	2828000	2121000	0	2121000	707000
0010.01.06 चिकित्सा भत्ता	2268000	1701000	420000	2121000	147000
0010.01.07 अन्य भत्ता	158000	118500	0	118500	39500
योग- वेतन एवं भत्ते	298213000	223659750	63050000	286709750	11503250
0010.13.01 कार्यालय व्यय	7000000	3500000	3500000	7000000	0
0010.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	150000	75000	75000	150000	0
0010.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	2000000	1000000	1000000	2000000	0
0010.16.01 प्रकाशन एवं मुद्रण	150000	75000	75000	150000	0
0010.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	2500000	1250000	1250000	2500000	0
0010.21.02 दवा भण्डार	700000	525000	175000	700000	0
0010.28.02 सविदा सेवायें	4000000	3000000	720000	3720000	2800000
0010.52.01 मशीनें एवं उपस्कर - कार्यालय	10000000	5000000	5000000	10000000	0
कुल योग:-	360713000	265084750	81325000	346409750	14303250

(रूपये आठ करोड़ तेरह लाख पच्चीस हजार)

66(1)90
6-11-18

सरकार के विशेष सचिव